

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : ८ दिसम्बर, 2022

विषय :- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति- 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022” के प्रस्तर-14 के उप प्रस्तर-14.3 के प्राविधान के अनुसार नीति के क्रियान्वयन में जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1- जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
2- मुख्य विकास अधिकारी	- सदस्य
3- अधिशासी अभियंता डिस्कॉम	- सदस्य
4- नगर निगम/विकास प्राधिकरण	- सदस्य
5- परियोजना अधिकारी यूपीनेडा	- सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा मासिक बैठक की जायेगी, परन्तु जिले स्तर पर सौर परियोजनाओं की समीक्षा हेतु बैठक तत्कालिक भी की जा सकती है। उक्त समिति द्वारा इन्वेस्टर/इम्पैनल्ड वैण्डर/विषय विशेषज्ञों/अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भी समिति में आवश्यकतानुसार शामिल किया जा सकता है।

2- यह समिति निम्न दायित्वों का निर्वाहन सुनिश्चित करेगी:-

- 1- सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि का चिन्हांकन एवं लैण्ड बैंक का विकास।
- 2- नीति के अन्तर्गत समस्त रेगुलेटरी क्लीयरेन्स (स्टैम्प ड्यूटी छूट, लैण्ड यूज चेन्ज, ग्राम समाज भूमि, उपलब्ध कराना इत्यादि) सुनिश्चित करना।
- 3- नेट मीटिंग/नेट बिलिंग की समीक्षा करना।
- 4- सरकारी एवं अर्धसरकारी भवनों पर सोलर रूफ टॉप की प्रगति की समीक्षा।
- 5- निजी आवासों पर सोलर रूफ टॉप की प्रगति की समीक्षा।
- 6- सोलर सिटी के विकास एवं क्रियान्वयन की समीक्षा।
- 7- डी०डी०जी० (डिसेन्ट्रलाइजेड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन)/ऑफ ग्रीड सोलर एप्लीकेशन जैसे-सोलर स्ट्रीट लाईट, सोलर वाटर पम्प, होम लाईटिंग सिस्टम, वाटर हीटर की समीक्षा।
- 8- सूर्य मित्रों के प्रशिक्षण की समीक्षा।

9— सौर ऊर्जा नीति-2022 के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य योजना तैयार करना। इसके लिए प्रत्येक जनपद को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(महेश कुमार गुप्ता)

अपर मुख्य सचिव ।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2— अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
- 3— अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 4— अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 5— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व/ऊर्जा विभाग/ग्राम्य विकास/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6— निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0।
- 7— प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0।
- 8— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9— प्रबन्ध निदेशक, संबंधित डिस्कॉम।
- 10— निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 11— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



सुनील कुमार चौहान

अनु सचिव।